

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

टिब्बी जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :- सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० 344 / 2025

1 प्रमेन्द्र सिंह पुत्र दयालसिंह जाति जटसिख निवासी चाहूवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम्

1. दर्शनसिंह
 2. रामसिंह
 3. सुखदेवसिंह
 4. हरवंशसिंह
 5. कुलजिन्द्र कौर पत्नी सतपाल सिंह
 6. हरलीन कौर पुत्री सतपाल सिंह
 7. नाबालिंग विराज सिंह पुत्र सतपाल सिंह
- पि० दयाल सिंह जाति जटसिख निवासी चाहूवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
- जाति जटसिख निवासीयान चाहूवाली तहसील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
- जाति जटसिख निवासी चाहूवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाष गर्ग व प्रतिवादी वकील करनैलसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- चक चकनं० 8 आर डबल्यू डी के खाता सं० 4/3 मे से प्रतिवादीगण सं० 1 ता 7 के नाम से दर्ज आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व चक न० 8 आरडब्ल्यू डी के खाता सं० 4/3 में प्रतिवादीगण सं० 1 ता 7 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हे। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/5/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेस उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।